सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत विवरण

सुशील कुमार मोदी

उप मुख्य (वित्त) मंत्री

फरवरी, 2011

विषय सूची पृष्ठ

वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण	1-5
मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण	5-8
राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण	9-15

वृहद आर्थिक रूप-रेखा विवरणी

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

वर्ष 2010-11 में आम चुनाव में सत्तारूढ़ सरकार को अपने द्वारा कृत विकास कार्यो के कारण जनता ने अभूतपूर्व जनादेश दिया है, जिसके लिए मैं आपलोगों के माध्यम से बिहार की जनता का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ । पिछले दो वर्षो से जारी प्राकृतिक आपदा का प्रकोप इस वर्ष भी जारी रहा और लगातार दूसरे वर्ष प्रदेश के सभी 38 जिलें सूखे की चपेट में आ गये । सूखे से मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार ने किसानों को डिजल अनुदान 285.00 करोड़ रूपये तथा बीज अनुदान 97.55 करोड़ रूपये का स्वीकृत किया गया है । साथ ही राज्य के प्रत्येक पंचायत को एक क्विंटल अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया गया ताकि कोई भुखमरी का शिकार न हो पाये ।

2. पिछले तीन वर्षो से आयी विश्वव्यापी मंदी से देश की अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने के कारण निर्यात की वृद्धि दर में कमी आई है और नये रोजगार के सृजन पर भी प्रभाव पड़ा है । यद्यपि चालू वित्तीय वर्ष में पिछले दो वर्षो के मुकाबले काफी सुधार हुआ, इसका असर केन्द्रीय करों पर भी पड़ा और इस वित्तीय वर्ष में यद्यपि 13वें वित्त आयोग से मिलने वाली राशि से पहली न्यूनतम राशि से ज्यादा केन्द्रीय करों की राशि प्राप्त हुई । परन्तु केन्द्रीय करों के हिस्से के रूप में जितनी राशि प्राप्ति की अपेक्षा थी, उससे कम राशि प्राप्त हुई । वर्ष 2009-10 में 18202.58 करोड़ रूपये की राशि केन्द्रीय करों के रूप में प्राप्त हुई थी । इस वित्तीय वर्ष में 22852.87 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त होने की संभावना है । केन्द्रीय करो के हिस्से में ह्रास के बावजूद भी विकास के दर को प्रभावित नही होने दिया और राज्य सरकार ने अपने संसाधनों को 9760.09 करोड़ रूपये से बढ़ाकर इस वर्ष 11838.61 करोड़ रूपये करने का प्रयत्न किया है ।

3. ऐतिहासिक रूप से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में काफी उतार-चढ़ाव देखा जाता रहा है। इसका मुख्य कारण राज्य की अर्थ व्यवस्था का कृषि क्षेत्र पर निर्भर होना है जो स्वयं मानसून पर निर्भर है।

4. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004-05 से 2010 की अवधि में औसत विकास दर 10.93% से अधिक रहा है जो राष्ट्र की औसत से लगभग 3% अधिक है। यह वृद्धि

एक-दो प्रक्षेत्रों में सीमित न रहकर लगभग सभी प्रक्षेत्रों में हुई है। कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं में वृद्धि दर 2.14% रहा है जबकि निर्माण, संचार, होटल एवं रेस्टोरेंट में क्रमशः 25.55%, 17.03%, 19.63% की वृद्धि हुई है।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रक्षेत्रवार विवरण से स्पष्ट है कि कृषि पर राज्य की निर्भरता पिछले दशक में कम हुई है। जहाँ इस प्रक्षेत्र का योगदान 2000-01 में 39.03% था वह अब घटकर 2009-10 में 21.74% रह गया है। द्वितीयक (Secondary) एवं तृतीयक (Tertiary) प्रक्षेत्र में इस अवधि में वृद्धि हुई है। सम्प्रति सेवाएँ(तृतीयक) सकल घरेलू उत्पाद का 61.65% है जबकि द्वितीयक सेक्टर 16.61% हैं। कृषि प्रक्षेत्र पर घटती हुई निर्भरता तथा उद्योग एवं सेवाओं में हो रही वृद्धि राज्य के विकासोन्मुख होने के तथ्य को दर्शाता है।

राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है। 2009-10 में यह मात्र 12884 रूपये था । राज्य का औसत प्रति व्यक्ति आय देश के औसत प्रति व्यक्ति आय की लगभग एक तिहाई है। यद्यपि प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2004-05 में रू0 8528 से वर्ष 2009-10 में 12883 रूपया (स्थित मूल्यों पर) की बढ़ोत्तरी हुई है । यह भी देखा गया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में भी काफी विषमता है। वर्ष 2006-07 के आंकड़ों के अनुसार जहाँ यह राशि पटना, मुंगेर एवं बेगुसराय में क्रमशः 37737, 12370 एवं 10409 थी वहीं यह राशि जमुई, अररिया एवं शिवहर के लिए क्रमशः 5516, 5245 एवं 4398 रूपये ही है। सामान्यतः दक्षिण बिहार के जिलों के लिए ये आंकड़े उत्तर बिहार के जिलों से अधिक है।

ऋण जमा अनुपात की प्रवृत्तियाँ

वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात बहुत हद तक किसी राज्य के आर्थिक विकास के स्तर और ऋण उपयोग की क्षमता पर निर्भर करता है। 1990 के दशक तक बिहार में ऋण जमा अनुपात देश के न्यूनतम स्तर पर था। यद्यपि इसमें 2000-01 के बाद कुछ सुधार हुआ मगर 2006-07 में भी यह देश के न्यूनतम स्तर पर ही था। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार यह अनुपात 60% होना चाहिए जबकि बिहार में यह तत्काल 32% ही है। विभिन्न जिलों में भी इस अनुपात में काफी भिन्नता है। 40% से अधिक अनुपात कैमूर, मुजफ्फपरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार में रहा है जबकि यह सबसे कम सीवान जिले के लिए 20.08% है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल ऋण जमा अनुपात वाणिज्यिक बैंकों से अधिक है। यदि विगत वर्षों में राज्य में अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों के कुल ऋण में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी की समीक्षा की जाए तो यह दृष्टिगत होता है कि कृषि, उद्योग एवं निजी ऋण की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। जहाँ कृषि

प्रक्षेत्र की हिस्सेदारी 2002-03 में 20.9% थी, अब वह बढ़कर 2006-07 में 24.2% हो गई है। उसी प्रकार उद्योग में यह आंकड़ा 2002-03 में 14.2% से बढ़कर 2006-07 में 22% हो गया है।

राज्य के ऋण जमा अनुपात में अपेक्षित बढ़ोत्तरी नहीं होने का कारण बड़े उद्योगों को लगाने के लिए आधारभूत संरचना का अभाव रहा है। पिछले वर्षों में आधारभूत संरचना में सुधार लाने हेतु किए गए उपायों तथा विधि व्यवस्था की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार होने के कारण आद्यौगिक वातावरण में काफी प्रगति हुई है। इस अनुपात के कम रहने का एक कारण राज्य के सभी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा का न होना भी है। राज्य में सम्प्रति 22500 की आबादी पर एक बैंक की शाखा है जबकि देश में यह औसत 15000 है। राष्ट्रीय औसत तक बिहार को ले जाने के लिए 2500 नई शाखाओं के खोले जाने की आवश्यकता है। अब राज्य में मात्र एक ही प्रखण्ड ऐसा है जहाँ कोई वाणिज्यिक बैंक अथवा ग्रामीण बैंक की शाखा नहीं है। जिला स्तरीय बैंकर्स समिति जो जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्य करती है, द्वारा दो हजार से अधिक आबादी वाले ऐसे सभी 8947 गांवों का सर्वेक्षण किया गया है जहाँ या तो बैंक शाखा खोलकर अथवा Business Correspondent/Business Facilitators के माध्यम से बैंकिंग सेवा पहुंचाई जाएगी।

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में विकास किसी भी अर्थतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है। सामाजिक सेवाओं में वर्ष 2009-10 में कुल व्यय 14308.96 करोड़ रूपये का हुआ है जबकि 2010-11 में 20327.84 करोड़ रूपये का पुनरीक्षित प्रावधान है। वर्ष 2011-12 में इसे बढ़ाकर 22104.46 करोड़ रूपये किया जा रहा है। उसी प्रकार आर्थिक सेवा में 2009-10 में 13912.68 करोड़ रूपये के व्यय को बढ़ाकर 2010-11 में पुनरीक्षित प्राक्कलन 18564.03 करोड़ रूपये तथा अगले वित्तीय वर्ष 2011-12 में 20268.92 करोड़ रूपये किया जा रहा है। इसमें राजस्व, पूँजीगत एवं ऋण पर इन मदों के व्यय की राशि सम्मिलित है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रक्षेत्र में शिक्षकों एवं चिकित्सकों की नियुक्ति, अस्पताल निर्माण एवं दवाओं एवं शिक्षण सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है। राज्य के अस्पतालों में रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी की जाँच की मुफ्त सुविधा प्रदान की जा रही है। सुदूर क्षेत्रों में चलन्त मेडिकल यूनिट द्वारा भी स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुंचाई जा रही है।

राज्य के 40 लाख अशिक्षित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना प्रारम्भ की गई है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सभी ऐसी छात्राओं जिन्होंने कक्षा 10 प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता हासिल की है

उन्हें 10 हजार रूपये की राशि देने का प्रावधान किया गया है। बालिकाओं को उच्च विद्यालयों में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री साइकिल योजना प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत बालिकाओं को साइकिल दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2010-11 से नवमीं कक्षा के बालकों को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है ।वर्ग 3 से 5 कक्षा के सभी छात्र-छात्राओं को पोशाक हेतु 500/- रू0 प्रति छात्र दिया जा रहा है तथा वर्ग 6 से वर्ग 8 की छात्राओं को 700/- रूपया प्रति छात्रा इस हेतु दिया जा रहा है । सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के परिभ्रमण के लिए प्रति विद्यालय 5000/- रूपये दिया जा रहा है ।

राज्य में सड़कों की जाल में सुधार लाने हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। जहाँ 2005-06 में सड़कों में 260.42 करोड़ की राशि व्यय हुई थी । वर्ष 2010-11 में 3717.84 करोड़ रूपये का व्यय किया जा रहा है जो चौदह गुणा है। वर्ष 2010-11 में पथ निर्माण विभाग द्वारा 2031.72 किलोमीटर सभी प्रकार की सड़कों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किए जा रहे प्रयासों के पूरक के रूप में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारम्भ किया गया है जिसमें 500 की आबादी वाले गाँव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत अब तक 797 पुलों के लक्ष्य के विरूद्ध 486 पुलों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त 1783 छोटे पुलों का भी निर्माण हुआ है।

योजना आयोग द्वारा बन्द पड़े बरौनी तथा मुजफ्फरपुर ताप विद्युत गृह के इकाईयों के जीर्णोद्धार एवं नवीकरण के लिए नवम्बर, 2009 में 1053 करोड़ रूपये के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत दी गई है एवं कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त बरौनी में विद्युत बोर्ड द्वारा 2X250 मेगावाट क्षमता के विस्तार तथा NTPC के साथ बनाए गए उपक्रम द्वारा कांटी में 2X195 मेगावाट के क्षमता विस्तार की योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है। NTPC के साथ बनाए गए संयुक्त उपक्रम द्वारा नवीनगर में स्थापित किए जाने वाले 3X660 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत गृहों के निर्माण की कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है।

उपर्युक्त सभी कदमों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा 3 फरवरी 2011 तक 446 प्रस्ताव स्वीकृति हुए हैं। कार्यान्वित तथा अंतिम चरण के प्रस्तावों को मिलाकर 1.999 लाख करोड़ रूपये के प्रस्तावित निवेश के विरूद्ध 1761.90 करोड़ रूपये का पूँजी निवेश हुआ है।

परिदृश्य

मंदी तथा सुखाड़ के कारण विकास के लिए संसाधन जुटाने में बाधा हुई है किन्तु फिर भी अपने प्रयासों से विकास की गति को कम नहीं होने दिया

गया। निजी निवेश के लिए भी औद्योगिक वातावरण में सुधार हुआ है। अतः आगामी वर्ष में राज्य के चहुंमुखी विकास का सकारात्मक परिदृश्य है।

मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण

राजकोषीय संकेतक–परिवर्त्तनीय लक्ष्य (राशि करोड़ में)

क्र.सं.	मद	वास्तविकी	महालेखाकार के आंकड़े	बजट अनुमान	लक्ष्य	
		2008-09	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
1	सकल घरेलू उत्पाद	145675.55	168602.62	197798.25	211400.00	232540
2	राजस्व बचत	4469.12	3942.66	6556.70	6272.30	8028.06
3	राजकोषीय घाटा	2506.97	5273.02	4593.56	6194.03	6903.73
4	लोक ऋण वर्ष के अन्त में शेष	39291.06	43442.47	48027.78	54208.78	61184.98
5	कर राजस्व	23865.25	26292.25	34244.10	39549.29	47548.97
6	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व बचत	3.07	2.34	3.31	2.97	3.45
7	सकल घरेलु उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	1.72	3.13	2.32	2.93	2.97
8	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल कर राजस्व	16.38	15.59	17.31	18.71	20.45
9	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण	26.97	25.77	24.28	25.64	26.31
नोट–	जी.एस.डी.पी. के वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक के आंकड़ों का आधार योजना एवं विकास विभाग(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) के पत्र संख्या–258 दिनांक– 11–02–2011 है। वर्ष 2011–12 के जी.एस.डी.पी के आंकड़े का आधार भारत सरकार द्वारा ऋण अधिसीमा 6342 करोड़ रूपये का सूचित किया जाना है जो कि जी.एस.डी.पी. का 3 प्रतिशत है। वर्ष 2012–13 में जी.एस.डी.पी. वर्ष 2011–12 में 10 प्रतिशत की वृद्धि को आधार मानते हुए रखा गया है।					

1. मध्यावधि राजकोषीय नीति संबंधित विवरण में अन्तर्निहित पुर्वानुमानों सहित विशिष्ट राजकोषीय संकेतकों के लिए 3 वर्षीय आवर्ती लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस विवरण में राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन से संबंधित निरंतरता का मूल्यांकण और उत्पादक परिसम्पतियों के सृजन के लिए बाजार उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों के उपयोग को शामिल किया जाता है।

2. वर्ष 2008-09 की वास्तविकी, वर्ष 2009-10 के महालेखाकार के आंकड़े, वर्ष 2010-11 का बजट अनुमान तथा वर्ष 2011-12 के लक्ष्य एवं 2012-13 परिवर्तनीय लक्ष्य ह 5 विवरणी आरम्भ में ही अवलोकनीय है।

3. वर्ष 2008-09 की वास्तविकी से स्पष्ट है कि राजस्व बचत 4469.12 करोड़ रूपये का हुआ है। 2009-10 में यह राशि 3942.66 करोड़ रूपये की है, तथा बजट अनुमान के अनुसार यह 2010-11 में 6556.70 करोड़ रूपये एवं 2011-12 में 6272.30 करोड़ रूपये अनुमानित है। इसी प्रकार 2008-09 में राजकोषीय घाटा 2506.97 करोड़ रूपये हुआ, जो महालेखाकार आंकड़ों के अनुसार 2009-10 में 5273.02 करोड़ रूपया है। चूंकि राज्य लगातार राजस्व बचत की स्थिति में है, अतः यह स्पष्ट है कि लिए जा रहे ऋण का उपयोग पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए किया जा रहा है। राज्य सरकार ने ऋणों को वहन योग्य बनाने हेतु एक निक्षेप निधि का सृजन किया है। इस निधि में 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में कुल मिलाकर 440.00 करोड़ रूपये की राशि जमा की गई है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निवेशित है। इस राशि का उपयोग 5 वर्ष बाद ऋण अदायगी के लिए किया जाएगा। 2009-10 में 6134.38 करोड़ रूपये की राशि ऋण के रूप में ली गई थी। इस वित्तीय वर्ष में अबतक 4866.00 करोड़ रूपये की राशि ली गई है। 2009-10 में 1982.99 करोड़ रूपये की ऋण अदायगी की गई। 2010-11 में 2231.94 करोड़ के ऋण की वापसी होगी।

4. उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है राजस्व बचत की स्थिति 2009-10 एवं आगामी वर्षों में बने रहने की संभावना है। यह राज्य सरकार को उत्पादक परिसम्पतियों के सृजन के लिए अधिकाधिक निवेश करने की क्षमता प्रदान करेगी। यह उल्लेखनीय है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार को वर्ष 2010-11 में राजकोषीय घाटा को राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत की अधिसीमा तक रखना है। अतः उस सीमा के अन्तर्गत रहते हुए अधिकाधिक व्यय का कार्यक्रम है।

5. उपर्युक्त लक्ष्यों के निर्धारण में निम्नलिखित पूर्वानुमानों को आधार बनाया गया है।

(क) 2010-11 से 13वीं वित्त आयोग की अवधि अनुशंसाओं के आधार पर बिहार को कुल कर राजस्व में 11.28 प्रतिशत से घटाकर 10.917 प्रतिशत कर राजस्व की प्राप्ति होगी, परन्तु कुल divisible pool के

बढ़कर 32 प्रतिशत हो जाने के कारण वास्तविक प्राप्ति में बढ़ोत्तरी होगी । इस वर्ष 22852.87 करोड़ रूपये का कर राजस्व प्राप्ति के आसार हैं।

(ख) केन्द्रीय छठे वेतन की अनुशंसा के अनुरूप राज्य कर्मियों के वेतन भत्तों तथा पेंशन धारियों के पेंशन का पुनरीक्षण 01.01.06 से वैचारिक रूप से तथा 01.04.07 से वास्तविक रूप से किया गया है। बकाये वेतन का भुगतान इस वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ होकर पाँच समतुल्य वार्षिक किस्तों में तथा बकाए पेंशन का भुगतान पिछले वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ होकर 15 प्रतिशत 40 प्रतिशत तथा 45 प्रतिशत के तीन वार्षिक किस्तों में होना है। व्यय के अनुमान में इसे ध्यान में रखा गया है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों यथा पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, विधि, तकनीकी विभागों मे विकास को गति देने के लिए रिक्तियों को भरने का कार्यक्रम है। इनका ध्यान पूर्वानुमान को तैयार करने में रखा गया है।

(घ) पेंशन के व्यय का आकलन पिछले वित्तीय वर्षो का ट्रेंड तथा पेंशन पुनरीक्षण के आदेश को ध्यान में रखकर किया गया हैं। 01.09.05 से नई पेंशन योजना लागू की गई है। यद्यपि पेंशन की राशि की कटौती नए पेंशन स्कीम से आच्छादित कर्मियों के वेतन की जा रही है, किन्तु निवेश की कार्रवाई अबतक प्रारम्भ नहीं हो पाई थीं। इस निमित्त भारत सरकार की व्यवस्था के अनुरूप एन.पी.एस ट्रस्ट, नई दिल्ली से एकरारनामा किया गया है। एवं चालू महीनों की अंशदान राशि NSDL को भेजी जा रही है । बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन अधिनियम के तहत राजकोषीय घाटा से संबंधित लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, जिसकी निरंतरता भविष्य में भी बने रहने की संभावना है।

6. वर्ष 2009-10 में राज्य सरकार का लोक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 25.77 प्रतिशत है। यह मानते हुए कि राज्य सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत तक सीमित रखेगी और 2011-12 में यह लोक ऋण राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 25.64 प्रतिशत हो जाएगा। लोक ऋण का यह भार वहन करने योग्य है।

7. अगले 10 वर्षो के लिए वार्षिक पेंशन दायित्व निम्नवत् हैः-

अगले 10 वर्षों के लिए प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व का ब्यौरा

वर्ष	राशि करोड़ रूपये में
2010-11	5873.47
2011-12	7584.27
2012-13	8342.70
2013-14	9176.97
2014-15	10094.66
2015-16	11104.13
2016-17	12214.54
2017-18	13436.00
2018-19	14779.60
2019-20	16257.56

राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण

इस विवरणी में, जैसा कि बिहार राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा प्रावधानित किया गया है, निम्नलिखित विषय आच्छादित हैं-

1. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के कराधान, व्यय, ऋण एवं अन्य दायित्व (लोक उपक्रमों एवं अन्य Special Purpose Vehicle या अन्य ऐसे उपक्रम जिनके ऋण की अदायगी का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का हो), उधार देना, निवेश, अन्य आकस्मिक दायित्व, लोक सेवाओं/वस्तुओं के लिए उपभोक्ता प्रभार तथा अन्य क्रियाकलाप जैसे गारंटी अथवा लोक उपक्रमों के क्रियाकलाप जिनका राज्य के बजट पर असर पड़ सकता हो, से संबंधित राजकोषीय नीतियाँ।

2. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय प्रक्षेत्र में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएँ।

3. महत्वपूर्ण राजकोषीय उपाय एवं कराधान, अनुदान, व्यय, ऋण एवं उपभोक्ता प्रभार से संबंधित राजकोषीय उपायों में कोई भारी बदलाव/औचित्य।

4. राज्य सरकार की वर्तमान नीतियां राजकोषीय प्रबंधन सिद्धांतों की तुलना में।

(क) राजकोषीय नीति का सिंहावलोकन :

राज्य सरकार द्वारा बिहार राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया है। राजकोषीय नीति का मुख्य आधार इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए उद्देश्य एवं प्रबंधन सिद्धांत ही हैं। अधिनियम के अनुसार राजस्व घाटे को 2008-09 तक समाप्त करना है, परन्तु इसे 2005-06 से ही समाप्त किया जा चुका है। वर्ष 2010-11 में राजकोषिय घाटा 3.5 प्रतिशत और वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-2015 तक राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.00 प्रतिशत रखा जाना है। राजस्व बचत का उपयोग पूर्व में लिए गए अधिक ब्याज दर वाले ऋण की अदायगी एवं पूंजीगत व्यय के लिए किया जा रहा है। राजकोषीय घाटे को अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वहनीय स्तर तक ही सीमित रखा जा रहा है और निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप ही अधिकतम ऋण लिया जा रहा है, जिससे राज्य के विकास के लिए अधिकाधिक संसाधन जुटाये जा सकें। राज्य में कर-राजस्व के अधिकाधिक संग्रहण पर जोर दिया गया है ताकि अधिक से अधिक राजस्व बचत हो और विकास के लिए

संसाधन उपलब्ध हो सके। राज्य में गैर-कर राजस्व के श्रोत अत्यंत कम हो गए है क्योंकि खनन क्षेत्र झारखंड में चला गया है। राज्य की आधारभूत संरचना में पूर्व से ही निवेश में कमी रहने के कारण मूलभूत सुविधाओं पर उपभोक्ता प्रभार लगाकर गैर कर राजस्व बढ़ाने की संभावनाएँ सीमित हैं। जैसे-जैसे मूलभूत सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, उपभोक्ता प्रभार के माध्यम से गैर कर राजस्व में बढ़ोत्तरी की जायेगी। व्यय में प्राथमिकता आधारभूत संरचना यथा सड़क, पुल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक विद्यालय, बिजली को ही दी जा रही है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में सुधार के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। कर प्रणालियों का अधिकाधिक कम्प्युटराइजेशन, कर प्रणाली में सुधार, दरों को युक्तिसंगत करना एवं कर वंचना को रोकना सुनिश्चित किया जा रहा है। लोक उपक्रमों को गारंटी भी सीमित रूप से केवल वहीं दी जा रही है, जहां केन्द्र की वित्तीय संस्थाएं यथा नाबार्ड आदि राज्य सरकार की गारंटी के बिना ऋण नहीं देंगी। वर्ष 2009-10 के अन्त तक लोक ऋण 43442.47 करोड़ रूपये है। यह राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 25.77 प्रतिशत है। 2009-10 में ब्याज अदायगियों पर 3685.48 करोड़ रूपये का व्यय था जो कुल राजस्व प्राप्तियां का 10.37 प्रतिशत है। वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान के अनुसार यह 8.43 प्रतिशत हो जायेगा, जो राजकोषीय प्रबंधन के दृष्टिकोण से एक सराहनीय उपलब्धि है।

(ख) आगामी वित्तीय वर्ष में राजकोषीय नीति :

जैसा कि उपरोक्त् कंडिका में उल्लेख किया गया है व्यय में आधारभूत संरचना - बिजली, सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य केन्द्र एवं विद्यालयों तथा लोक सेवाओं शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा - राशन, ग्रामीण रोजगार को प्राथमिकता जारी रखी जायेगी जहां तक संभव है, बिजली एवं महत्वपूर्ण सड़क, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं, उच्च शिक्षा सेवाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन दिया जायेगा। विद्युत बोर्ड को प्रतिमाह अनुदान 60 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 90 करोड़ रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है जो मूलतः ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति कम दर पर दिये जाने के कारण है। लेकिन इसे भी युक्तिसंगत बनाया जायेगा। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए चीनी मिलों के पूंजीगत निवेश में पूंजीगत अनुदान एवं सभी नई इकाइयों के निवेश में मूल्यवर्द्धित कर की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। इस कारण इन मदों में अनुदान बढ़ने की संभावना है। इस पर भी लगातार नजर रखी जायेगी। उच्च शिक्षा के प्रक्षेत्र में भी अनुदान प्रति वर्ष लगभग 1182.68 करोड़ रूपये हो गया है, जिसके सदुपयोग एवं उच्च शिक्षा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। शहर आर्थिक विकास के लिए प्रेरक का कार्य करते हैं अतः उनकी आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाना

आवश्यक है, जिसके लिए राज्य सरकार लोक एवं निजी निवेश सुनिश्चित करेगी। यद्यपि ऋण की अधिकतम सीमा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्यों के अंतर्गत ही रखी जायेगी, लेकिन राज्य सरकार अधिकाधिक प्रयास करेगी कि बाह्य संस्थाओं से बाजार से अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर एवं दीर्घावधि का अधिकाधिक ऋण लिया जाय। इसी तरह नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के लिए कम दर पर ऋण प्राप्त होता है। अतः इस श्रोत से भी अधिकाधिक ऋण प्राप्त किया जायेगा। इस तरह इन ऋणों पर सूद मद में कम भुगतान करना पड़ेगा। राज्य सरकार सरकारी उपक्रमों को गारंटी एवं अनुदान को सीमित रखेगी और लगातार अनुश्रवण कर सुनिश्चित करेगी कि उन ऋणों की अदायगी का दायित्व राज्य सरकार को नहीं वहन करना पड़े।

(ग) कर नीतिः-

कर की दरों के युक्तियुक्त बनाकर कराधार को विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही कर की अपवंचना को रोकना और कर संग्रहण में सूचना एवं प्रावैद्यिकी का अधिकाधिक उपयोग किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कर संग्रहण में जुड़े लोगों के कार्यकलापों की समय समय पर समीक्षा तथा अच्छे प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करने पर भी सरकार का बल है। इन्हीं सब कारणों से मंदी के बावजूद भी राज्य सरकार के अपने कर संग्रहण में वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 में 31.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की हैं। केन्द्रीय स्तर पर गठित वित मंत्रियों की प्राधिकृत समिति के द्वारा जी.एस.टी. लागू करने पर विचार हो रहा है ।

अपने कर के दरों को युक्तियुक्त बनाने के लिए 2010-11 के लिए वित्त विधयेक लाया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैः-

(i) राज्य में वैट की दरों में दिनांक-01.04.2006 के बाद कोई महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया गया है । सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति में इस बिन्दु पर आम सहमति बनी कि ऐसी वस्तुएँ जिन पर वर्तमान में 4 प्रतिशत की दर से कर अधीरोपित है उनपर कर की दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जाय और अन्य सभी वस्तुएँ जिनपर 12.5 प्रतिशत की दर से कर अधिरोपित है उनकी कर दरों को बढ़ाकर 13.5 प्रतिशत किया जाय । इसी आलोक में अनेक राज्यों द्वारा वैट की दरो में वृद्धि की गयी । राज्य सरकार के विचाराधीन यह प्रस्ताव था एवं अनेक राज्यों में बढ़े हुए कर दरों के आलोक में राज्य सरकार ने भी कर दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है । यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य योजना का आकार बढ़ाये जाने के कारण आंतरिक संसाधनों में भी वृद्धि अत्यावश्यक है एवं इस कारण भी कर दरों में वृद्धि किया जाना आवश्यक हुआ ।

वर्तमान में कागज, किराना, ईट तथा गिट्टी, किरासन तेल, खाद्य तेल, बर्तन, दवा, खाद एवं उर्वरक, साईकिल, उर्जा चालित कृषि उपकरण जैसे वस्तुओं पर 4 प्रतिशत की दर से कर अधिरोपित है । इन वस्तुओं पर कर की दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव है । उल्लेखनीय है कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में भी इन वस्तुओं पर कर की दरों को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया है । परन्तु कर की इस प्रस्तावित वृद्धि से कोयला, लोहा, कपास, तिलहन, चीनी जैसे वस्तुओं को अलग रखा गया है ।

राज्य में संप्रति मोटर वाहन, टेलिविजन, फ्रिज, सौन्दर्य-प्रसाधन, जर्दा/सिगरेट, सिंमेंट, साबून, डिटरजेंट, टूट पेंस्ट/टूट ब्रश, बिजली के घेरलू उपयोग की वस्तुओं फर्नीचर जैसी वस्तुओं पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर अधिरोपित है । एवं इन वस्तुओं पर कर की दर को 13.5 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव है । उल्लेखनीय है कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने भी इन वस्तुओं की कर की दरों में वृद्धि करते हुए उन्हें 13.5 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक के बीच किया है ।

कर दरों में प्रस्तावित वृद्धि से लगभग रूपया 450 करोड़ की अतिरिक्त राशि राजस्व के रूप में प्राप्त होने की संभावना है ।

(ii) वर्तमान में राज्य में विलासिता कर ऐसे होटलों पर अधिरोपित है जिनमें प्रतिदिन कमरे का किराया रूपया 500 से अधिक है । विलासिता कर के दायरे को विस्तारित करते हुए इसमें कॉमर्शियल हॉल को भी शामिल करने का प्रस्ताव है । बिहार होटल में विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 में प्रस्तावित संशोधनों के कारण अब होटलों अथवा अन्य किसी हॉल या कमरे में या खुले स्थान पर आयोजित कान्फ्रन्स, वर्कशॉप, प्रदर्शनी, विवाह जैसे आयोजनों हेतु प्रयोग किए जा रहे हॉल आदि पर भी 10 प्रतिशत की दर से विलासिता कर अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव है । इस कारण प्रथम वर्ष में रूपया 1 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है ।

(iii) बिहार मोटरवाहन अधिनियम में निजी वाहनों पर समान रूप से 3 प्रतिशत कर अधिरोपित करने का प्रावधान था, जबकि अन्य राज्यों में यह दर 5 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक थी । इसके आलोक में इसे युक्तिसंगत बनाकर सभी प्रकार के निजी वाहनों पर समान रूप से बिक्री कर रहित क्रय का 5 प्रतिशत अधिरोपित करने का प्रावधान किया जा रहा है ।

मालवाहक वाहनों के करों को युक्तिसंगत बनाने के लिए बिहार मोटरवाहन कर अधिरोपन अधिनियम की धारा 5 की उप धारा 3 के प्रावधान में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसके आधार पर राज्य सरकार समय समय पर अनुसूचि में विहित करों की दर में अधिसूचना द्वारा बढ़ोत्तरी कर सकेगी । परन्तु ऐसी वृद्धि किसी भी वर्ष में अनुसूचि में वर्णित दर से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

वर्त्तमान में प्रस्ताव है कि :-

(i) 1000 कि0ग्रा0 तक निबंधित लदान क्षमता वाले मालवाहकों पर निबंधन तिथि से प्रथम 10 वर्षो के लिए 7700 रूपये एवं उसके बाद प्रत्येक 5 वर्षो के लिए 7700 रूपये एक मुश्त कर रोपण की प्रणाली लागू की जाए ।

(iv) 1000 कि0 ग्रा0 से अधिक 3000 कि0 ग्रा0 तक की लदान क्षमता वाले मालवाहों पर निबंधन की तिथि से प्रथम 10 वर्षो के लिए प्रति टन अथवा उसके खण्ड वजन के लिए 5500 रूपये की दर से एक मुश्त कर रोपण लागू किया जाए ।

(घ) सरकारी व्यय प्रशासन संबंधित पहल :-

राज्य सरकार द्वारा वित प्रबंधन सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब तक राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित कदम उठाये गए हैं-

(i) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम

(ii) विभाागों और क्षेत्रीय कार्यालयों को शक्तियों का प्रत्यायोजन

(iii) बिहार वित्तीय नियमावली में संशोधन

(iv) व्यय की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए चौमासिक सीमा हटाना, महालेखाकार से अनावश्यक प्राधिकार पत्र को हटाना

(v) आन्तरिक वित्तीय सलाहाकार की व्यवस्था का सुदढ़ीकरण

(vi) वित्त विभाग में वित्त प्रबंधन के लिए आर्थिक विश्लेषण कोषांग की स्थापना।

(vii) ऋण भुगतान के लिए निक्षेप निधि का सृजन

(viii) सभी कोषागार/उप कोषागार को कम्प्युटरीकृत कर दिया गया है, ये कोषागार BSWAN एवं SECLAN द्वारा एक दूसरे से तथा विभागों से जुड़ गए हैं। कोषागार का प्रबंधन CTMIS के माध्यम से हो रहा है। इसका यह लाभ है कि आय-व्यय इत्यादि से संबंधित सारे आंकड़े उसी समय उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे ही राशि की प्राप्ति अथवा व्यय होता है। इससे वित्तीय व्यवस्था काफी सुदृढ़ हुई है।

(ix) CTMIS के उपयोग से कोषागार/उप कोषागार के लेखे बिल्कुल अद्यतन हो गए हैं।

(x) CTMIS के उपयोग के फलस्वरूप अब प्रत्येक माह प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उनके द्वारा की गई निकासी से संबंधित विवरणी टीभी नं0 सहित महीना समाप्त होते ही भेज दिया जाता है ताकि वे उन

आंकड़ों का मिलान अपने लेखे से कर लें। इससे भी वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ हुई हैं।

(xi) बजट की प्रक्रिया में भी कम्प्युटरीकरण का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक की तकनीकी सहायता से व्यय प्रशासन प्रबंधन में प्रणालीगत सुधार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसके निम्नलिखित मुख्य अवयव हैंः-

(i) पुराने बिहार कोषांगार संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली, एवं आतंरिक अंकेक्षण व्यवस्था में देश-विदेश की सर्वोतम प्रक्रियाओं के आधार पर आमूल-चूल सुधार।

(ii) नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी व्यय प्रबंधन सुधार का कार्यक्रम।

(iii) विभागों में आतंरिक वित्त सलाहकार की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं प्रशिक्षण आदि से उनकी क्षमता में वृद्धि।

(iv) व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए योजना एवं विकास विभाग में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोषांग का गठन। विभागों में भी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन व्यवस्था को सुदृढ़ करना।

(v) ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली को लागू किया जाना।

(vi) महालेखाकार की अंकेक्षण आपत्तियों क अनुश्रवण की व्यवस्था सुदृढ़ करना। आंतरिक वित्त अंकेक्षण द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का नई तकनीक से अंकेक्षण।

(vii) निगरानी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

(viii) मुख्य संस्थाओं यथा बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा क्रियान्वित हो रहे कार्यक्रमों का सघन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।

(ङ) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार की नीतियों का मूल्यांकन :

राज्य सरकार की नीतियां सामान्यतः राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में प्रावधानित लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों के अनुरूप है। विशिष्ट राजस्व घाटा समाप्त करने का लक्ष्य अधिनियम में प्रावधानित तिथि से पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। राजस्व बचत में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। राजकोषीय घाटा भी अधिनियम के लक्ष्यों के अनुसार सीमित रखा जा रहा है और आगामी वर्ष में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक सीमित रखा जाने का प्रावधान किया गया है। राजस्व बचत एवं

लिए गए ऋण का उपयोग पूंजीगत व्यय और पूर्व में ऊंचे दर में लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया जा रहा है। व्यय में भी आधारभूत संरचना यथा सड़क, बिजली, विद्यालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण/मरम्मती, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को प्राथमिकता रही है। कर प्रशासन में सुधार, दरों को युक्तिसंगत करना, कर संग्रहण प्रक्रिया के उत्तरोत्तर कम्प्यूटरीकृत करते हुए राजस्व संग्रहण में बढ़ोत्तरी का निरंतर प्रयास हो रहा है। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एवं अन्यथा भी सरकारी संव्यवहार में पारदर्शिता बरती जा रही है। अधिकाधिक सूचना लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है।

केन्द्रीय वेतनमान लागू किए जाने तथा नए पदों की स्वीकृति/रिक्तियां भरे जाने के कारण स्थापना व्यय बढ़ा है। यद्यपि एक अच्छी गुणवत्ता की सेवा प्रदान करते हुए कर्मियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, तथापि स्थापना व्यय पर ध्यान रखा जा रहा है। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक निवेश के लिए मूल्य वर्द्धित कर की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है, इस पर लगातार सावधानी बरतने की आवश्यकता है चूंकि इसकी कोई ऊपरी सीमा नही रखी गई है। सामाजिक कल्याण के मद में जो विशेष वर्गो के लिए कल्याण योजनायें शुरू की गई है उनमें भी अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। विद्युत बोर्ड एवं विश्व विद्यालयों के बढ़ते अनुदान को भी सीमित करने की आवश्यकता है। यद्यपि उच्च कोटि के शिक्षा प्रबंधन संस्थानों एवं विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं की राज्य में आवश्यकता है, लेकिन इन क्षेत्रों में निजी निवेश भी संभव है एवं इनमें सेवा चाहने वाले सेवा शुल्क अदा करने में भी सक्षम हैं। कुछ ऐसे वर्ग जो सेवा शुल्क देने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं उन्हें सरकार सहायता दे सकती है। इन क्षेत्रों में सीधे लोक निवेश न कर लोक निवेश अन्य महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाएँ एवं महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं के सुधार के लिए कर्णांकित किया जा सकता है। आधारभूत क्षेत्रों में यथा सड़क, स्वास्थ्य आदि में उपभोक्ता शुल्क लगाने में अभी समस्या है चूंकि इनकी सेवाओं की गुणवत्ता में अभी और सुधार की आवश्यकता है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं सिद्धान्तों का अधिकाधिक पालन सुनिश्चित किया जा रहा है ।

∞∞∞∞∞∞∞

© Copyright 2011 Finance Department, Govt. of Bihar

Printed at The Offsetters India Pvt. Ltd., Patna-800 001